

क्रा.सं. 02/05/2024
मो.सं. 30/9/2024

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या NHM/BHDS/59/2024-~~0010~~ 125-

पटना, दिनांक -30/09/ 2024

शुद्धि-पत्र

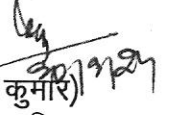
कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/59/2024-62, दिनांक-07.05.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना मद से संरक्षित खेती योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1656.45 लाख (सोलह करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-3 (ग) एवं (ङ) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :-

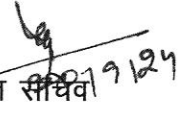
कंडिका संख्या	पूर्व में स्वीकृत आदेश	संशोधित आदेश
कंडिका-3 (ग)	शेडनेट :- इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जाएगा। शेडनेट अंतर्गत इकाई लागत 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर 75 प्रतिशत अनुदान पर यानि रुपये 532.5 प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को दो किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त यानि सहायतानुदान का 40 प्रतिशत यानि 213.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर ग्राउटिंग होने के पश्चात एवं ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत की राशि यानि 319.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। (जिलावार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-4 के रूप में संलग्न)	शेडनेट :- इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जायेगा। शेडनेट अंतर्गत इकाई लागत 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर यानि रुपये 355 प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को दो किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त यानि सहायतानुदान का 40 प्रतिशत यानि 142.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर ग्राउटिंग होने के पश्चात एवं ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत की राशि यानि 213.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। (जिलावार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-4 के रूप में संलग्न)
कंडिका-3 (ङ)	पॉलीहाउस :- इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 7 जिलों यथा गया, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, पटना, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर में कराया जायेगा। पॉलीहाउस अंतर्गत 20000 वर्ग मीटर रैयत कृषकों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पॉलीहाउस अंतर्गत इकाई लागत यानि 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर कुल 75 प्रतिशत अनुदान यानि रुपये 701.25 प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को दिया जायेगा। सहायतानुदान की राशि 2 किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त यानि कुल सहायतानुदान का 40 प्रतिशत यानि 280.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर ग्राउटिंग होने के पश्चात एवं ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत यानि 420.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि दिया जायेगा। (जिलावार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-3 के रूप में संलग्न)	पॉलीहाउस :- इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 7 जिलों यथा गया, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, पटना, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर में कराया जायेगा। पॉलीहाउस अंतर्गत 20000 वर्ग मीटर रैयत कृषकों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पॉलीहाउस अंतर्गत इकाई लागत यानि 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर कुल 50 प्रतिशत अनुदान यानि रुपये 467.50 प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को दिया जायेगा। सहायतानुदान की राशि 2 किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त यानि कुल सहायतानुदान का 40 प्रतिशत यानि 187.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर ग्राउटिंग होने के पश्चात एवं ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत यानि 280.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि दिया जायेगा। (जिलावार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-3 के रूप में संलग्न)

3. उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/59/2024-62, दिनांक 07.05.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

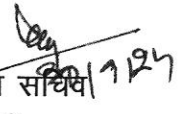
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

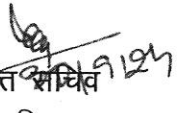
ज्ञापांक : NHM/BHDS/59/2024-~~410410070~~-125- पटना, दिनांक - 30/09/2024
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

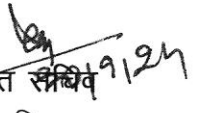
ज्ञापांक : NHM/BHDS/59/2024-~~410410070~~-125- पटना, दिनांक - 30/09/2024
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

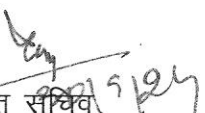
ज्ञापांक : NHM/BHDS/59/2024-~~410410070~~-125- पटना, दिनांक - 30/09/2024
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/59/2024-~~410410070~~-125- पटना, दिनांक - 30/09/2024
प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/59/2024-~~410410070~~-125- पटना, दिनांक - 30/09/2024
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य (योजना), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/सभी उप निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।